ऑन लाईन नं.GCMS2022/223

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 74/2023

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री **जोनी अग्रवाल उर्फ गोविन्द अग्रवाल पुत्र श्री सुभाष चन्द** —(विक्रेता)
   मै0 अग्रवाल पनीर एण्ड स्वीट हाउस, 39 ई ब्लॉक, सरना इलैक्ट्रोनिक के पास श्रीगंगानगर।
2. श्री सुभाष गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश —(मालिक)
   मैसर्स:—अग्रवाल पनीर एण्ड स्वीट हाउस, 39 ई ब्लॉक, सरना इलैक्ट्रोनिक के पास श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) * श्रीगंगानगर (राज.) *

निर्णय

दिनांक: 02.02.2024

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः—एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांकः— आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री कंवरपाल सिंह , खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.04.2023 को समय दोपहर बाद 6.15 ए.एम. **मै. अग्रवाल पनीर एण्ड स्वीट हाउस, 39 ई ब्लॉक, सरना इलैक्ट्रोनिक के पास श्रीगंगानगर** पहुंचे। मौके पर विक्रेता व मालिक **जोनी अग्रवाल उर्फ गोविन्द अग्रवाल पुत्र श्री सुभाष चन्द** को अपना परिचय देकर संस्थान में ड्रम में रखा खाद्य पदार्थ **घी (खुला)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का विक्रेता एवं मालिक होना बताया तथा संस्थान में ड्रम में रखे 15 किलोग्राम खाद्य पदार्थ **घी (खुला)** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। **घी (खुला)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते खाद्य पदार्थ **घी (खुला)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **जोनी अग्रवाल उर्फ गोविन्द अग्रवाल पुत्र श्री सुभाष चन्द** एवं गवाहान ने भी पढकर समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक **जोनी अग्रवाल उर्फ गोविन्द अग्रवाल पुत्र श्री सुभाष चन्द** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.GCMS2022/223

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **घी (खुला)** 1 किलोग्राम को विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ **घी (खुला)** का नगद भुगतान 300/- रूपये किया तथा कैशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के भी हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **घी (खुला)** को समरूप कर बराबर भागो मे बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1791** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग -अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1791** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागो के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **जोनी अग्रवाल उर्फ गोविन्द अग्रवाल पुत्र श्री सुभाष चन्द** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :- L.S.646/Act/2023/646 Dated 12-05-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1791 Sub-Standard Food & contravenes Regulation** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **जोनी अग्रवाल उर्फ गोविन्द अग्रवाल पुत्र श्री सुभाष चन्द** मैसर्स **अग्रवाल पनीर एण्ड स्वीट हाउस, 39 ई ब्लॉक, सरना इलैक्ट्रोनिक के पास श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर के **घी (खुला)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.GCMS2022/223

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **घी (खुला)** का सैम्पल **K-1791** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–L.S.646/Act/2023/646 Dated 12-05-2023 द्वारा **Sub-Standard Food & contravenes Regulation** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा घी क्रय कर विक्रय किया जाता है। खरीदशुदा घी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः कम से कम जुर्माना किया जाकर प्रार्थी के प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Ghee (Loose)" bearing Code No and Sr. No. K-1791, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it not derived exclusively from milk oar products obatained from milk as it contains foreign fat (Fatty acid parofile of sample does not match with the fatty acid profile of ghee.) The sample also contravenes Regulation No.2.3.7.(2) of Food Safety and Standards (Prohibition and Regulation ,2011 due to presence of foreign fat.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त **श्री जोनी अग्रवाल उर्फ गोविन्द अग्रवाल पुत्र श्री सुभाष चन्द** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **जोनी अग्रवाल उर्फ गोविन्द अग्रवाल पुत्र श्री सुभाष चन्द** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 20,000--00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **जोनी अग्रवाल उर्फ गोविन्द अग्रवाल पुत्र श्री सुभाष चन्द** खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(अरविन्द कुमार जाखड)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर